HRA Sazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II — खण्ड 3 — उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 501] No. 501] नई दिल्ली, बुधवार, नवम्बर 14, 2007/कार्तिक 23, 1929

NEW DELHI, WEDNESDAY, NOVEMBER 14, 2007/KARTIKA 23, 1929

वित्त मंत्रालय

(आर्थिक कार्य विभाग)

भारतीय रिजर्व बैंक

(विदेशी मुद्रा विभाग)

(केन्द्रीय कार्यालय)

. अधिसूचना

मुम्बई, 18 सितम्बर, 2007

सं. फेमा. 160/2007-आर बी

विदेशी मुदा प्रबंध (रुपये में उधार लेना और उधार देना) (संशोधन) विनियमावली, 2007

सा.का.नि. 711(अ).—विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का 42) की धारा 6 की उप-धारा (3) के खंड (ङ) और धारा 47 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय रिजर्व बैंक, विदेशी मुद्रा प्रबंध (रुपये में उधार लेना और उधार देना) विनियमांवली, 2000 (दिनांक 3 मई, 2000 की अधिसूचना सं. फेमा 4/2000—आरबी) में निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात :—

- 1, **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.**—(i) ये विनियम विदेशी मुद्रा प्रबंध (रुपये में उधार लेना और उधार देना) (संशोधन) विनियमावली, 2007 कहलाएंगे।
 - (ii) ये अगस्त 22, 2007 स्त्रे लागू समझे जाएंगे। @
- 2. विनियमों में संशोधन.—विदेशी मुद्रा प्रबंध (रुपये में उधार लेना और उधार देना) विनियमावली, 2000 में, विनियम 7 के बाद एक नया उप-विनियम (घ) जोड़ा जाएगा, अर्थात् :—

"(7घ) प्राधिकृत व्यापारी, कर्मचारी स्टाक विकल्प योजना के तहत कंपनियों के शेयरों के अधिग्रहण के लिए भारतीय कंपनियों के अनिवासी कर्मचारियों को निम्नलिखित शर्तों के अधीन रुपया ऋण दे सकते हैं:

- (i) योजना बैंक के बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीति के अनुसार होनी चाहिए,
- (ii) ऋंण राशि शेयरों के खरीद मूल्य के 90% अथवा 20 लाख रुपए प्रति अनिवासी कर्मचारी, जो भी कम, से अधिक नहीं होनी चाहिए.
- (iii) ऐसे ऋणों पर ब्याज दर और मार्जिन, समय-समय पर रिज़र्व बैंक द्वारा जारी निदेशों के अधीन बैंकों द्वारा निर्धारित किए जाएं।
- (iv) कम्पनी को राशि का भुगतान सीधे किया जाएगा और भारत में उधारकर्ता के अनिवासी खाते में जमा नहीं किया जाना चाहिए।
- (v) ऋण राशि की चुकौती, उधारकर्ता द्वारा आवक प्रेषण के रूप में अथवा उसके एन आर ओ/एन आर ई/एफ सी एन आर (बी) खाते के नामे डालकर की जानी है।
- (vi) ऋण को पूंजी बाजार एक्सपोजर की गणना में शामिल किया जाएगा तथा बैंक सुनिश्चित करेगा कि पूंजी बाजार के ऐसे एक्सपोजर के लिए समय-समय पर रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित विवेकपूर्ण सीमाओं का अनुपालन किया जाता है।"

[फ. सं. 1/23/ईएम/2000 जिल्द IV]

सलीम गंगाधरन, मुख्य महाप्रबंधक

पाद टिप्पणी : (i) @यह स्पष्ट किया जाता है कि ऐसे विनियमों के पूर्व प्रभावी होने से किसी भी व्यक्ति पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा !

- (ii) मूल अधिनियम सरकारी राजपत्र में मई 5, 2000 के सं. सा.का.नि. 387(अ) में भाग II, खण्ड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित किए गए और बाद में निम्नलिखित द्वारा संशोधित किए गए:
- क) सा का.नि. 90(अ) दिनांक फरवरी 12, 2001;
- (ख) सा.का.नि. 754(अ) दिनांक नवम्बर 8, 2002;
- (ग) सा.का.नि. 351(अ) दिनांक जून 8, 2004;
- (घ) सा.का.नि.,453(अ) दिनांक जुलाई 16, 2004.

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Economic Affairs)

RESERVE BANK OF INDIA

(Foregin Exchange Department)

(CENTRAL OFFICE)

NOTIFICATION

Mumbai, the 18th September, 2007

No. FEMA. 160/2007-RB

Foreign Exchange Management (Borrowing and Lending in Rupees) (Amendment) Regulations, 2007

G.S.R. 711(E).—In exercise of the powers conferred by clause (e) of sub-section (3) of Section 6 and subsection (2) of Section 47 of the Foreign Exchange Management Act, 1999 (42 of 1999), the Reserve Bank of India hereby makes the following amendments in the Foreign Exchange Management (Borrowing and Lending in Rupees) Regulations, 2000 (Notification No. FEMA. 4/2000-RB dated 3rd May, 2000), namely:—

- 1. Short Title and Commencement.—(i) These Regulations may be called the Foreign Exchange Management (Borrowing and Lending in Rupees) (Amendment) Regulations, 2007.
- (ii) They shall be deemed to have come into force from August 22, 2007. @
- 2. Amendment to the Regulations.—In the Foreign Exchange Management (Borrowing and Lending in Rupees) Regulations, 2000 (Notification No. FEMA. 4/2000-RB dated, 3rd May, 2000), in regulation 7, after subtegulation (C), the following new sub-regulation (D) shall be inserted, namely:—
 - "(D) An Authorised Dealer in India may grant Rupee loans to NRI employees of Indian companies for adquiring shares of the companies under the Employees Stock Option (ESOP) Scheme subject to the following conditions:
 - (i) The ESOP Scheme should be as per the policy approved by the bank's Board,
 - (ii) The loan amount should not exceed 90% of the purchase price of the shares or Rupees 20 lakhs
 i. per NRI employee, whichever is lower.
 - (ii) The rate of interest and margin on such loans may be decided by the banks, subject to directives issued by the Reserve Bank from time to time.

- (iv) The amount shall be paid directly to the company and should not be credited to the borrowers' non-resident accounts in India.
- (v) The loan amount would have to be repaid by the borrower by way of inward remittances or by debit to his/her NRO/NRE/FCNR(B) account.
- (vi) The loans will be included for reckoning capital market exposures and the bank will ensure compliance with prudential limits, prescribed by the Reserve Bank from time to time, for such exposure to capital market."

[F. No. 1/23/EM/2000 Vol. IV]

SALIM GANGADHARAN, Chief General Manager

Foot Note:— (i) @ It is clarified that no person will be adversely affected as a result of retrospective effect being given to such regulations.

- (ii) The Principal Regulations were published in the Official Gazette *vide No.* G.S.R. 387(E) dated May 5, 2000 in Part II, Section 3, Sub-section (i) and subsequently amended *vide*,
- (a) No. G. S.R. 90 dated February 12, 2001;
- (b) No. G. S.R. 754(E) dated November 8, 2002;
- (c) No. G. S.R. 351(E) dated June 8, 2004; and
- (d) No. G. S.R. 453 (E) dated July 16, 2004.

अधिसूचना

मुम्बई, 17 अक्टबर, 2007

सं. फोमा, 166/2007-आर बी

विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत से बाहर के निवासी व्यक्ति द्वारा प्रतिभूति का अंतरण अथवा निर्गम) (संशोधन)

· विनियमावली, 2007

सा.का.नि. 712(अ).—िवदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का 42) की धारा 6 की उप-धारा (3) के खंड (ख) और धारा 47 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय रिजर्व बैंक, विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत से बाहर के निवासी व्यक्ति द्वारा प्रतिभूति का अंतरण अथवा निर्गम) विनियमावली, 2000 (3 मई, 2000 की अपनी अधिसूचना सं. फेमा 20/2000-आरबी) में निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात् :—

- 1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.**—(i) ये विनियम विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत से बाहर के निकासी व्यक्ति द्वारा प्रतिभूति का अंतरण अथवा निर्गम) (संशोधन) विनियमावली, 2007 कहलाएंगे।
 - (ii) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे ।
- 2. विनियमावली में संशोधन.—विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत से बाहर के निवासी व्यक्ति द्वारा प्रतिभृति का अंतरण अथवा निर्गम) विनियमावली, 2000 (3 मई, 2000 की अधिसूचना सं फेमा 20/2000-आरबी) में,
- (i) विनियम 2 में, उप-विनियम (iii)(क) के बाद निम्नलिखित उप-विनियम जोड़ा जाएगा, अर्थात् :—

- "(iii)(ख)"विदेशी केन्द्रीय बैंक" का अर्थ भारत के बाहर किसी देश में स्थापित कोई संस्था/संघठन/निकाय कंपनी है और जिसे देश में वर्तमान में लागू कानून के तहत केन्द्रीय बैंक के कार्य करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है।"
- (ii) विनियम 5 में, उप-विनियम (4) के लिए निम्नलिखित उप-विनियम को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात :
- "(4) एक अनिवासी भारतीय अथवा एक पंजीकृत विदेशी. संस्थागत निवेशक अथवा एक विदेशी केन्द्रीय बैंक भारतीय कंपनी के शेयरों अथवा परिवर्तनीय डिबेंचरों से इतर प्रतिभूतियां अनुसूची 5 में निर्धारित शर्तों के अधीन खरीद सकता है।"
- (iii) अनुसूची 5 में, पैराग्राफ 2 के बाद निम्नलिखित नया पैराग्राफ जोड़ा जाएगा, अर्थात् :—

"2अ. सरकारी प्रतिभृतियों की खरीद के लिए विदेशी केन्द्रीय बैंकों को अनुमति.—एक विदेशी केन्द्रीय बैंक रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर निर्धारित शर्तों के अधीन अनुषंगी बाजार में दिनांकित सरकारी प्रतिभृतियां/खजाना बिल खरीद और बेच सकता है"।

[फ. सं. 1/23/ईएम/2000 जिल्द IV]

सलीम गंगाधरन, मुख्य महाप्रबंधक

पाद टिप्पणी: मूल विनियमावली सरकारी राजपत्र में दिनांक 8 मई, 2000 के सा.का.नि. सं. 406(अ) में भाग II, में खण्ड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित किए गए और तत्पश्चात् निम्नानुसार संशाधित किए गए हैं:—

सा.का.नि. 158(अ) दिनांक 2-3-2001 सा.का.नि. 175(अ) दिनांक 13-3-2001 सा.का.नि. 182(अ) दिनांक 14-3-2001 सा.का.नि. 4(अ) दिनांक 2-01-2002 सा.का.नि. 574(अ) दिनांक 19-8-2002 सा.का.नि. 223(अ) दिनांक 18-3-2003 सा.का.नि. 225(अ) दिनांक 18-3-2003 साका नि. 558(अ) दिनांक 22-7-2003 सा.का.नि. 835(अ) दिनांक 23-10-2003 सा.का.नि. 899(अ) दिनांक 22-11-2003 सा.का.नि. 12(अ) दिनांक 7-1-2004 सा.का.नि. 278(अ) दिनांक 23-4-2004 सा.का.नि. 454(अ) दिनांक 16-7-2004 सा.का.नि. 625(अ) दिनांक 21-9-2004 सा.का.नि. 799(अ) दिनांक 8-12-2004 सा.का.नि. 201(अ) दिनांक 1-4-2005 सा.का.नि. 202(अ) दिनांक 1-4-2005 सा.का.नि. 504(अ) दिनांक 25-7-2005 सा.का.नि. 505(अ) दिनांक 25-7-2005 सा.का.नि. 513(अ) दिनांक 29-7-2005 सा.का.नि. 738(अ) दिनांक 22-12-2005 सा.का.नि. 29(अ) दिनांक 19-1-2006 सा.का.नि. 413(अ) दिनांक 11-7-2006

NOTIFICATION

Mumbai, the 17th October, 2007

No. FEMA. 166/2007-RB

Foreign Exchange Management (Transfer or Issue of Security by a Person Resident Outside India) (Amendment) Regulations, 2007

- G.S.R. 712(E).—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (3) of Section 6 and Section 47 of the Foreign Exchange Management Act, 1999 (42 of 1999), the Reserve Bank of India hereby makes the following amendments in the Foreign Exchange Management (Transfer or Issue of Security by a Person Resident Outside India) Regulations, 2000 (Notification No. FEMA 20/2000-RB dated 3rd May, 2000) namely:—
- 1. Short Title & Commencement.—(i) These Regulations may be called the Foreign Exchange Management (Transfer or Issue of Security by a Person Resident Outside India) (Amendment) Regulations, 2007.
- (ii) These amendments come into force from the date of publication in the gazette.
- 2. Amendment to the Regulations.—In the Foreign Exchange Management (Transfer or Issue of Security by a Person Resident Outside India) Regulations 2000, (Notification No. FEMA 20/2000-RB dated 3rd May, 2000).
- (i) In Regulation 2, after sub-regulation [iii (a)], the following sub-regulation shall be inserted, namely:—
 "[iii] (b) "Foreign Central Bank" means an institution/ organization/body corporate established in a country outside India and entrusted with the responsibility of carrying out central bank functions under the law for the time being in force in that country."
- (ii) In Regulation 5, for sub-regulation (4) the following sub-regulation shall be substituted, namely:—
 - "(4) A non-resident Indian or a registered FII or a Foreign Central Bank may purchase securities, other than shares or convertible debentures of an Indian company, subject to the terms and conditions specified in Schedule 5."
- (iii) In Schedule 5, after paragraph 2, the following new paragraph shall be inserted, namely:—
 - "2A. Permission to Foreign Central Banks for purchase of Government Securities—

A Foreign Central Bank may purchase and sell dated Government securities/ treasury bills in the secondary market subject to the conditions as may be stipulated by the Reserve Bank from time to time".

[F. No. 1/23/EM/2000 Vol. IV]

SALIM GANGADHARAN, Chief General Manager

Foot Note: The Principal Regulations were published in the Official Gazette vide G.S.R. 406 (E) dated May 8, 2000 in Part II, Section 3, sub-section (i) and subsequently amended as under:

No. G.S.R. 158(E) dated 2-3-2001

No. G.S.R. 175(E) dated 13-3-2001

No. G.S.R. 182(E) dated 14-3-2001

No. G.S.R. 4(E) dated 2-1-2002

No. G.S.R. 574(E) dated 19-8-2002

No. G.S.R. 223(E) dated 18-3-2003

No. G.S.R. 225(E) dated 18-3-2003

No. G.S.R. 558(E) dated 22-7-2003

No. G.S.R. 835(E) dated 23-10-2003

No. G.S.R. 899(E) dated 22-11-2003

No. G.S.R. 12(E) dated 7-1-2004

No. G.S.R. 278(E) dated 23-4-2004

No. G.S.R. 454(E) dated 16-7-2004

No. G.S.R. 625(E) dated 21-9-2004

No. G.S.R. 799(E) dated 8-12-2004

No. G.S.R. 201 (E) dated 1-4-2005

No. G.S.R. 202(E) dated 1-4-2005

No. G.S.R. 504(E) dated 25-7-2005

No. G.S.R. 505(E) dated 25-7-2005

No. G.S.R: 513(E) dated 29-7-2005

No. G.S.R. 738(E) dated 22-12-2005

No. G.S.R. 29(E) dated 19-1-2006

No. G.S.R. 413(E) dated 11-7-2006

अधिसुचना

मुम्बई, 23 अक्तूबर, 2007

सं. फोमा. 167/2007-आर बी

विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत से बाहर के निवासी व्यक्ति द्वारा प्रतिभूति का अंतरण अथवा निर्गम) (दूसरा संशोधन) विनियमावली, 2007

सा.का.नि. 713(अ).—विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का 42) की धारा 6 की उप-धारा (3) के खंड (ख) और धारा 47 द्वारा प्रदत्त अधिकरों का प्रयोग करते हुए भारतीय रिजर्व बैंक, विदेशी मुद्रा प्रवंध (भारत से बाहर के निवासी व्यक्ति द्वारा प्रतिभूति का अंतरण अथवा निर्गम) विनियमावली, 2000 (दिनांक 3 मई 2000 की अपनी अधिसूचना सं फेमा 20/2000-आरबी) में निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात:—

 संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—(i) ये विनियम विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत से बाहर के निवासी व्यक्ति द्वारा प्रतिभृति का अंतरण अथवा निर्गम) (दूसरा संशोधन) विनियमावली, 2007 कहलाएंगे।

- (ii) ये सरकरी राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे 🗄
- 2. विनियमावली में संशोधन.—विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत से बाहर के निवासी व्यक्ति द्वारा प्रतिभूति का अंतरण अथवा निर्गम) विनियमावली, 2000 (3 मई, 2000 की अधिसूचना सं. फेमा 20/2000- आरबी) में, विनियम 5 में, उप-विनियम (1) को उसके उप-विनियम 1 के खण्ड (i) के रूप में संख्यांकित किया जाएगा तथा इस तरह संख्यांकित खण्ड (i) के बाद निम्नलिखित खण्ड जोडा जाएगा, अर्थात :—
- (ii) उपर्युक्त उप-विनियम (i) में किसी भी बात के होते हुए भी एक व्यक्ति जो बांगलादेश का निवासी अथवा बांगलादेश में निगमित कोई कंपनी है, भारत सरकार के विदेशी मुद्रा संवर्धन बोर्ड के पूर्वानुमित से अनुसूची 1 में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के तहत किसी भारतीय कंपनी के शेयर और परिवर्तनीय डिबेंचर खरीद सकता है।"
- 2. अनुसूची 1 में पैरा 1(1) को निम्नलिखित से प्रतिस्थापित किया जाएगा :

"विनियम 5 के उप-विनियम (1) के खंड (i) और (ii) में उल्लिखित भारत से बाहर निवासी व्यक्ति इस अनुसूची में निर्धारित सीमा और शर्तों के अधीन किसी भारतीय कंपनी द्वारा जारी किए गए शेयर अथवा परिवर्तनीय डिबेंचर खरीद सकता है।"

[फ. सं. 1/23/ईएम/2000 जिल्द IV]

सलीम गंगाधरन, मुख्य महाप्रबंधक

पाद टिप्पणी: मूल विनियमावली सरकारी राजपत्र में दिनांक मई 3, 2000 के सा.का.नि. सं. 406(अ) में भाग II, में खण्ड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित किए गए हैं और तत्पश्चात् निम्नानुसार संशोधित किए गए हैं :—

सा.का.नि. 158(अ) दिनांक 2-3-2001; सा.का.नि. 175(अ) दिनांक 13-3-2001; सा.का.नि. 182(अ) दिनांक 14-3-2001; सा.का.नि. 4(अ) दिनांक 02-01-2002; सा.का.नि. 574(अ) दिनांक 19-8-2002 सा.का.नि. 223(अ) दिनांक 18-3-2003 सा.का.नि. 225(अ) दिनांक 18-3-2003 सा.का.नि. 558(अ) दिनांक 22-7-2003 . सा.का.नि. 835(अ) दिनांक 23-10-2003 सा.का.नि. 899(अ) दिनांक 22-11-2003 सा.का.नि. 12(अ) दिनांक 7-01-2004 सा.का.नि. 278(अ) दिनांक 23-4-2004 सा.का.नि. 454(अ) दिनांक 16-7-2004 सा.का.नि. 625(अ) दिनांक 21-9-2004 सा.का.नि. 799(अ) दिनांक 8-12-2004 सा.का.नि. 201(अ) दिनांक 1-4-2005 सा.का.नि. 202(अ) दिनांक 1-4-2005 सा.का.नि. 504(अ) दिनांक 25-7-2005

सा.का.नि. 505(अ) दिनांक 25-7-2005 सा.का.नि. 513(अ) दिनांक 29-7-2005 सा.का.नि. 738(अ) दिनांक 22-12-2005 सा.का.नि. 29(अ) दिनांक 19-1-2006 सा.का.नि. 413(अ) दिनांक 11-7-2006

NOTIFICATION

Mumbai, the 23rd October, 2007

No. FEMA. 167/2007-RB

Foreign Exchange Management (Transfer or Issue of Security by A Person Resident Outside India) (Second Amendment) Regulations, 2007

G.S.R. 713(E).—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (3) of Section 6 and Section 47 of the Foreign Exchange Management Act, 1999 (42 of 1999), the Reserve Bank of India hereby makes the following amendments in the Foreign Exchange Management (Transfer or Issue of Security by A Person Resident Outside India) Regulations, 2000 (Notification No. FEMA 20/2000-RB dated 3rd May, 2000), namely:—

- 1. Short Title and Commencement.—(i) These Regulations may be called the Foreign Exchange Management (Transfer or Issue of Security by A Person Resident Outside India) (Second Amendment) Regulations, 2007.
- (ii) This would come into effect from the date of its publication in the official Gazette.
- 2. Amendment to the Regulations.—1. In the Foreign Exchange Management (Transfer or Issue of Security by A Person Resident Outside India) Regulations, 2000, (Notification No. FEMA 20/2000-RB dated 3rd May, 2000), in regulation 5, sub-regulation (1), shall be renumbered as clause (i) of sub-regulation (1) thereof and after clause (i) so re-numbered, the following clause shall be inserted, namely:—
- "(ii) Notwithstanding anything contained in subregulation (i) above, a person who is a citizen of Bangladesh or an entity incorporated in Bangladesh may, with the prior approval of the Foreign Investment Promotion Board of the Government of India, purchase shares and convertible debentures of an Indian company under Foreign Direct Investment Scheme, subject to the terms and conditions specified in Schedule 1."
- 2. In Schedule 1, para 1 (1) shall be substituted by the following:

"A person resident outside India referred to in clauses (i) and (ii) of sub-regulation (1) of Regulation 5, may purchase shares or convertible debentures issued by an Indian company up to the extent and subject to the terms and conditions set out in this Schedule."

[F. No. 1/23/EM/2000 Vol. IV]

SALIM GANGADHARAN, Chief General Manager

Foot Note: The Principal Regulations were published in the Official Gazette vide No. G.S.R. 406 (E) dated May 3, 2000 in Part II, Section 3, sub-section (i) and subsequently amended as under:—

G.S.R. 158(E) dated 02-03-2001

G.S.R. 175(E) dated 13-03-2001

G.S.R. 182(E) dated 14-03-2001

G.S.R. 4(E) dated 2-01-2002

G.S.R, 574(E) dated 19-08-2002

G.S.R., 223(E) dated 18-03-2003

G.S.R. 225(E) dated 18-03-2003

G.S.R. 558(E) dated 22-07-2003

G.S.R., 835(E) dated 23-10-2003

G.S.R. 899(E) dated 22-11-2003

G.S.R. 12(E) dated 7-01-2004

G.S.R. 278(E) dated 23-04-2004

G.S.R. 454(E) dated 16-07-2004

G.S.R. 625(E) dated 21-09-2004

G.S.R. 799(E) dated 08-12-2004

G.S.R. 201 (E) dated 1-04-2005

G.S.R. 202(E) dated 1-04-2005

G.S.R. 504(E) dated 25-07-2005

G.S.R. 505(E) dated 25-07-2005

G.S.R. 513(E) dated 29-07-2005

G.S.R. 738(E) dated 22-12-2005

G.S.R. 29(E) dated 19-01-2006

G.S.R. 413(E) dated 11-07-2006

अधिसूचना

मुम्बई, 23 अक्तूबर, 2007

सं. फेमा, 168/2007-आर बी

विदेशी मुद्रा प्रबंध (जमाराशि) (चौथा संशोधन) विनियमावली, 2007

सा.का.नि. 714(अ):—विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का 42) की धारा 6 की उप-धारा (3) के खंड (च) और धारा 47 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए भारतीय रिजर्व बैंक, विदेशी मुद्रा प्रबंध (जमाराशि) विनियमावली, 2000 (3 मई, 2000 की अधिसूचना सं. फोमा 5/2000-आरबी) में निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात् :--

- 1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—(i) ये विनियम विदेशी मुद्रा प्रबंध (जमाराशि) (चौथा संशोधन) विनियमावली, 2007 कहलाएंगे ।
 - (ii) ये मई 2007 के 18वें दिन से लागू समझे जाएंगे 🙉
- 2. विनियमावली में संशोधन.—विदेशी मुद्रा प्रबंध (जमाराशियां) विनियमावली 2000 (मई 3, 2000 की अधिसूचना सं. फेमा 5/2000-आरबी) में अनुसूची 2 में, पैरा 11 को उसके उप-पैरा (1) के रूप में पुन: संख्यांकित किया जाएगा और इस प्रकार पुन: संख्यांकित उप-पैरा जोड़ा जाएगा, अर्थात् :—

"(2) प्राधिकृत व्यापारी विदेशी मुद्रा अनिवासी (बैंक) जमाराशियों की परिपक्वता प्राप्य राशियों को भारत के बाहर अन्य पक्षों को प्रेषित करने की अनुमित दे सकता है, बशर्ते लेन-देन, खाताधारक द्वारा विशेष रूप से प्राधिकृत किया जाता है और प्राधिकृत व्यापारी लेन-देन की वास्तविकता से संतुष्ट है।"

[फा. सं. 1/23/ईएम/2000 जिल्द IV]

सलीम गंगाधरन, मुख्य महाप्रबंधक

पाद टिप्पणी: (i) [@] यह स्पष्ट किया जाता है कि ऐसे विनियमों के पूर्व प्रभावी होने से किसी भी व्यक्ति पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

(ii) मूल अधिनियम सरकारी राजपत्र में दिनांक मई 5, 2000 के सं. सा.का.नि. 388(अ) में भाग II, खण्ड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित किए गए और तत्पश्चत् निम्नलिखित द्वारा संशोधित किए गए हैं:

सा.का.नि. 262(अ) दिनांक 9-4-2002

सा.का.नि. 577(अ) दिनांक 19-8-2002

सा.का.नि. 855(अ) दिनांक 31-12-2002

सा.का.नि. 494(अ) दिनांक 4-8-2004

सा.का.नि. 221(अ) दिनांक 7-4-2005

सा.का.नि. 663(अ) दिनांक 14-11-2005

सा.का.नि. 28(अ) दिनांक 19-1-2006

सा.का.नि. 495(अ) दिनांक 23-7-2007

NOTIFICATION

Mumbai, the 23rd October, 2007

No. FEMA. 168/2007-RB

Foreign Exchange Management (Deposit) (Fourth Amendment) Regulations, 2007

G.S.R. 714(E).—In exercise of the powers conferred by clause (f) of sub-section (3) of section 6, sub-section (2) of Section 47 of the Foreign Exchange Management Act, 1999 (42 of 1999), the Reserve Bank of India makes the following amendments in the Foreign Exchange Management (Deposit) Regulations, 2000 (Notification No. FEMA. 5/2000-RB dated May 3, 2000), namely:

- 1. Short title and commencement.—(i) These regulations may be called the Foreign Exchange Management (Deposit) (Fourth Amendment) Regulations, 2007.
- (ii) They shall be deemed to have come into effect on the 18th day of May, 2007.@
- 2. Amendment of the Regulations.—In the Foreign Exchange Management (Deposit) Regulations, 2000 (Notification No. FEMA 5/2000-RB dated May 3, 2000), in

Schedule 2, paragraph 11 shall be renumbered as subparagraph (1) thereof and after sub-paragraph (1) so renumbered, the following sub-paragraph shall be inserted, namely:—

"(2) Authorised dealer may permit remittance of the maturity proceeds of FCNR (B) deposits to third parties outside India, provided the transaction is specifically authorised by the account holder and the authorised dealer is satisfied about the bona fides of the transaction."

[F. No. 1/23/EM/2000 Vol. IV]

SALIM GANGADHARAN, Chief General Manager

Foot Note: (i) [®] It is clarified that no person will be adversely affected as a result of retrospective effect being given to such regulations.

(ii) The Principal Regulations were published in the Official Gazette vide No. G.S.R. 388 (E) dated May 5, 2000 in Part II, Section 3, Sub-section (i) and subsequently amended vide:—

G.S.R. 262(E) dated April 9, 2002

GG.S.R. 577(E) dated August 19, 2002

G.S.R. 855(E) dated December 31, 2002

G.S.R. 494(E) dated August, 2004

G.S.R. 221 (E) dated April 7, 2005

G.S.R. 663(E) dated November 14, 2005

GG.S.R. 28(E) dated January 19, 2006

G.S.R. 495 (E) dated July 23, 2007

अधिसूचना

मुम्बई, 23 अक्तूबर, 2007

सं. फोमा. 169/2007-आर बी

विदेशी मुद्रा प्रबंध (विदेशी मुद्रा की वसूली, प्रत्यावर्तन तथा सुपुर्दगी) (संशोधन) विनियमावली, 2007

सा.का.नि. 715(अ).—विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का 42) की धारा 8, धारा 10 की उप-धारा (6), धारा 47 की उप-धारा (2) के खंड (ग) द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, भारतीय रिजर्व बैंक, विदेशी मुद्रा प्रवंध (विदेशी मुद्रा की वसूली, प्रत्यावर्तन तथा सुपुर्दगी) विनियमावली, 2000 (3 मई, 2000 की अधिसूचना सं. फोमा 9/2000—आरबी) में संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियमावली बनाता है, अर्थात्:

- 1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.**—(i) ये विनियम विदेशी मुद्रा प्रबंध (विदेशी मुद्रा की वसूली, प्रत्यावर्तन तथा सुपुर्दगी) (संशोधन) विनियमावली, 2007 कहलाएंगे।
 - (ii) ये मई 2007 के 18वें दिन से लागू समझे जाएंगे।
- 2. विनियम 5 में संशोधन.—विदेशी मुद्रा प्रबंध (विदेशी मुद्रा की वसूली, प्रत्यावर्तन तथा सुपुर्दगी) विनियमावली, 2000 (मई 3, 2000 की अधिसूचना सं. फेमा 9/2000) (इससे आगे 'मूल

विनियमावली' के नाम से उल्लिखित) में, विनियम 5 में, "कोई व्यक्ति" शब्दों को "कोई घ्यक्ति जो भारत में निवासी व्यक्ति ना हीं है" शब्दों से प्रतिस्थापित किया जाएगा।

- 3. विनियम 6 में संशोधन, मूल विनियमावली में,-
- (1) विनियम 6 में, उप-विनियम (1) में, "कोई व्यक्ति" शब्दों को "कोई व्यक्ति जो भारत में निवासी व्यक्ति नहीं है" शब्दों से प्रतिस्थापित किया जाएगा।
- (2) उप-विनियम (2) में "किसी व्यक्ति द्वारा खरीदे गए" शब्दों को "कोई व्यक्ति जो भारत में निवासी व्यक्ति नहीं है, द्वारा खरीदे गए" शब्दों से प्रतिस्थापित किया जाएगा।
- 4. नया विनियम 6अ जोड़ना—मूल विनियमावली में, विनियम 6 के बाद, निम्नलिखित नया विनियम जोड़ा जाएगा, अर्थात् :

"6अ. निवासी व्यक्तियों द्वारा प्राप्त/वसूली गई/खर्च न की गई/उपयोग में न लायी गई विदेशी मुद्रा की सुपुर्दगी की अविध.—भारत में निवासी कोई व्यक्ति प्राप्त/वसूली गई/खर्च न की गई/उपयोग में न लायी गई विदेशी मुद्रा, चाहे वह करेंसी नोटों, सिक्कों अथवा यात्री चेकों, आदि के रूप में हो, किसी प्राधिकृत व्यक्ति को ऐसी प्राप्ति/वसूली/खरीद/अधिग्रहण अथवा भारत में उसकी वापसी, जैसा भी मामला हो, के 180 दिनों के अंदर सुपुर्द करेगा।"

[फा. सं. 1/23/ईएम/2000 जिल्दं IV] सलीम गंगाधरन, मुख्य महाप्रबंधक

पाद टिप्पणी: (i) @ यह स्पष्ट किया जाता है कि इन विनियमों के पूर्वव्यापी प्रभाव से लागू होने से किसी भी व्यक्ति पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

(ii) मूल विनियमावंली सरकारी राजपत्र में दिनांक मई 5, 2000 की सं. सा.का.नि. 392(अ) में प्रकाशित किए गए हैं।

NOTIFICATION

Mumbai, the 23rd October, 2007

No. FEMA 169/2007-RB

Foreign Exchange Management (Realisation, Repatriation and Surrender of Foreign Exchange) (Amendment) Regulations, 2007

G.S.R. 715(E).—In exercise of the powers conferred by Section 8, Sub-section (6) of Section 10, clause (c) of sub-section (2) of section 47 of the Foreign Exchange Management Act, 1999 (42 of 1999), the Reserve Bank of India makes the following Regulations to amend the Foreign Exchange Management (Realisation, Repatriation and Surrender of Foreign Exchange) Regulations, 2000 (Notification No. FEMA 9/2000-RB, dated May 3, 2000) namely:—

- 1. Short title and commencement.—(i) These regulations may be called the Foreign Exchange Management (Realisation, Repatriation and Surrender of Foreign Exchange) (Amendment) Regulations, 2007.
- (ii) They shall be deemed to have come into effect on the 18th day of May, 2007.
- 2. Amendment of the regulation 5.—In the Foreign Exchange Management (Realisation, Repatriation and Surrender of Foreign Exchange) Regulations, 2000 (Notification No. FEMA 9/2000 dated May 3, 2000) (hereinafter referred to as the 'principal regulations'), in regulation 5, for the words "A person", the words "A person not being an individual resident in India" shall be substituted.
- 3. Amendment of regulation 6.—In the principal regulations—
- (1) in regulation 6, in sub-regulation (1), for the words "Any person", the words "Any person not being an individual resident in India" shall be substituted.
- (2) in sub-regulation (2) for the words "purchased by any person", the words "purchased by any person not being an individual resident in India" shall be substituted.
- 4. Insertion of new regulation 6A.—In the principal regulations, after regulation 6, the following new regulation shall be inserted, namely:—
 - "6A. Period for surrender of received/realised/unspent/unused foreign exchange by Resident individuals.—A person being an individual resident in India shall surrender the received/realised/unspent/unused foreign exchange whether in the form of currency notes, coins and travellers cheques, etc. to an authorised person within a period of 180 days from the date of such receipt/realisation/purchase/acquisition or date of his return to India, as the case may be."

[F. No. 1/23/EM/2000 Vol. IV]

SALIM GANGADHARAN, Chief General Manager

Foot Note: (i) [@] It is clarified that no person will be adversely affected as a result of retrospective effect being given to such regulations.

(ii) The Principal Regulations were published in the Official Gazette vide No. G.S.R. 392(E) dated May 5, 2000.